



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112022-239980  
CG-DL-E-02112022-239980

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]  
No. 710]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2022

**सा.का.नि. 797(अ).**—केंद्रीय सरकार, मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 221(अ) तारीख 25 मार्च, 2022 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (i) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता का उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 25 मार्च, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 174 के उप-नियम (1) के खंड (xi) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा; अर्थात्:-

"(ग) जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन निर्दिष्टानुसार वाहन का एंड ऑफ लाइफ घोषित किया गया है; या"

3(क). उक्त नियमों के नियम 175 में, उप-नियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"3(क) केंद्रीय सरकार, एकल खिड़की निकासी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल स्थापित करेगी, जिस पर आवेदक आवेदन करेंगे और रजिस्ट्रीकरण के लिए दस्तावेज तथा अपेक्षित फीस अपलोड करेंगे।";

(ख) उपनियम (4) के खंड (ii) में "इस तथ्य को ध्यान में रखेगा" शब्दों के स्थान पर "स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के संभावित उपयोग पर ध्यान रखेगा और यह तथ्य" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 176 में,-

(क) उपनियम (i) में,

(i) पहले परंतुक में, "या मोटर गाड़ी के पुर्जों" शब्दों के पश्चात् "या वाहनों की स्कैपिंग" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक में, "या मोटर गाड़ी के पुर्जों" शब्दों के पश्चात् "या वाहनों की स्कैपिंग" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में, "और अंतिम दो वित्तीय वर्षों में कर के पश्चात् निश्चित लाभ होना चाहिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) यदि किसी स्वचालित परीक्षण केंद्र का स्वामी या प्रचालक एक सरकारी निकाय है तो प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और प्रतिभूति जमा या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए बैंक गारंटी की अनुमति के लिए आवेदन फीस लागू नहीं होगी तथा ऐसी इकाईयों को नियम 176 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदंड प्राप्त करने से भी छूट होगी।"

5. उक्त नियमों के नियम 177 में,- उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रचालन के दौरान ऐसे हित का टकराव नहीं होगा जो किसी स्वचालित परीक्षण केंद्र के स्वामी या प्रचालक के वृत्तिक आचरण को प्रभावित करने या उसके साथ समझौता करने के लिए उद्भूत हो सके या बोधगम्य हो सके।"

6. उक्त नियमों के नियम 178 में,- उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) ऐसे परिसर, जहां स्वचालित परीक्षण केंद्र रखा जाना है, कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए स्वामी द्वारा या तो स्वामित्व में होगा या पट्टे पर लिया जाएगा या किराए पर लिया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 180 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और पश्चातवर्ती नवीकरण इसके नवीकरण की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की अवधि के समाप्त होने के तीन मास पूर्व किया जाएगा।"

8. उक्त नियमों के नियम 181 में,

(क) उपनियम (i) में, "यथाविनिर्दिष्ट फीस जमा करके की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "और यान का स्वामी, फिटनेस परीक्षण के लिए नियुक्ति रद्द करने पर जमा किए गए फीस की वापसी प्राप्त करेगा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (ख) उपनियम (3) में, “जानकारी अपलोड की जाएगी” शब्दों के पश्चात् “या प्रविष्ट की जाएगी, यथा लागू” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ग) उपनियम (6) के खंड (ii) में, “केंद्रीय सर्वर में” शब्दों के पश्चात् “परीक्षण उपस्कर से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (घ) उपनियम (7) में, “और इस प्रकार” शब्दों के पश्चात् “प्ररूप 69 में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ङ) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9) नियम 62 के उपनियम (i) के चौथे परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, स्वचालित परीक्षण केंद्र किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत यान को स्वीकार कर सकेगा या उसका परीक्षण कर सकेगा। “

9. उक्त नियमों के नियम 182 के, उपनियम (3) में, “ ऐसे यान का जीवन समाप्त” शब्दों के पश्चात् “ या अनुपयुक्त, जो भी हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

10. उक्त नियमों के नियम 183 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां अपील प्राधिकरण, इसकी प्राप्ति के पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर अपील सुनने में समर्थ नहीं है, तो अपील अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और यान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि यानों का पुनः परीक्षण तीस दिनों के भीतर नियत किया गया है। “

11. उक्त नियमों के नियम 184 में,

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की संपरीक्षा और निर्धारण प्रत्येक छह मास में किया जाएगा तथा ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण की लागत का वहन स्वचालित परीक्षण स्टेशन के प्रचालक द्वारा किया जाएगा और प्रचालक, अर्धवार्षिक वित्तीय वर्ष, अर्थात् उस वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल, के पूर्ण होने के एक मास के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर संपरीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट अपलोड करेगा।“

(ख) उपनियम (8) में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) सुधार रिपोर्ट, अनुमोदन के लिए संपरीक्षा और निर्धारण एजेंसी को तथा सूचना देने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से, ऐसी अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, प्रस्तुत की जाएगी। “

12. उक्त नियमों के नियम 189 के उपनियम (1) में सारणी-घ के स्थान पर निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी:-

#### सारणी घ

क्रम सं.	मद	स्वचालित परीक्षण (हां/नहीं)	फिटमेंट की जांच करें	दृश्यता जांच/कार्यात्मक परीक्षण	अधिक विवरण के लिए संदर्भ नियम/मानक	सूचना के लिए टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	हैडलैंप डिण्ड बीम	हां	नहीं	कार्यात्मक	एआईएस-128	कार्यात्मक परीक्षण की आवश्यकता: गुजरने वाले बीम का क्षैतिज कट आफ सदैव हैडलैंप केन्द्रीय रेखा से नीचे होगा और विचलन 0.5% से 2.5% के बीच होगा।
(2)	हैडलैंप असेंबली	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 105	दृश्यता निरीक्षण मानदंड:

					और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो. 1)	(i)बल्ब को काम करना चाहिए; (ii) हैंडलैप आपरेटिंग स्विच को काम करना चाहिए; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iv) लैंप का लेंस रंग से पुता नहीं होना चाहिए या उस पर स्टीकर नहीं चिपका होना चाहिए।
(3)	लाइटस					
	(क) टाप लाइट्स	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 107, 108 और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंसटूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) दो रंगों के लेंसवाले लैंपों के लिए, लाल रंग पीछे की ओर होगा और सफेद रंग आगे की ओर होगा; (v) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (vi) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ख) स्टाप लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप ब्रेक के प्रेरण पर काम करेगा ; (iv)लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ग) पार्किंग लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 109, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008(संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(घ) कोहरा लैंप (यदि लगाया गया है)	नहीं	हां	दृश्यता	एआई एस-008 या एआई एस-008 9संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर

						नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ड.) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस 125 (भाग 1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(च) नंबर प्लेट लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) सफेद लाइट नंबर प्लेट को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग होगी ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) होनी चाहिए। लैंप की साज-समान सुरक्षित
	(छ) एंड-आउटलाइन मार्कर लैंप	नहीं	हां	दृश्यता	एआईएस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) एंड-आउटलाइन मार्कर लैंप की साज-समान सुरक्षित सुनिश्चित होना चाहिए ; (ii) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v)लाल रंग लेंस पीछे की ओर और सफेद लेंस आगे की ओर होना चाहिए।
	(ज) दिशा सूचक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस-009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का रंग अंबर होगा ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(झ) खतरा चेतावनी संकेत लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	ए आई एस-008 या ए आई	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का

					एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 (संशो.1)	रंग अंबर होगा; (ii) स्विच के उपयोग द्वारा सभी दिशाओं के सूचक लैंपों के समक्षणिक प्रचालन सुनिश्चित करना।
(4)	सप्रेसर कैप/उच्च टेंशन केबल	नहीं	हां	दृश्यता		दृश्यता परीक्षण मानदंड: (क) सप्रेसर कैप: (i) सप्रेसर कैप अच्छी स्थिति में नहीं होगा (ख) उच्च टेंशन केबल : (i) उच्च टेंशन केबल उचित रूप से विद्युत-रोधी होगी; (ii) उचित टर्मिनल संयोजन उच्च टेंशन केबल के दोनों तरफ बने होंगे।
(5)	पीछे देखने के लिए शीशा	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 125(2) और ए आई एस-002 (भाग-1) और (भाग -2) (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: ए आई एस 002 (भाग-1)/ (भाग-2) (संशो.1) ; के अनुसार अपेक्षित श्रेणी के शीशे का साज़ समान सुनिश्चित होना चाहिए ; प्रतीक I/II /III /IV /V /VI/ VII उस श्रेणी को विनिर्दिष्ट करता है जिससे शीशे की श्रेणी संबंधित है, शीशे को बनाने के लिए सुनिश्चित की जाएगी ; अच्छी स्थिति में शीशे का साज़ समान सुनिश्चित किया जाएगा।
(6)	सुरक्षा शीशा (विंडस्क्रीन)	नहीं	हां	दृश्यता	(क) नियम 100 और आई एस: 2553 (भाग 2) (ख) 1 अप्रैल, 2021 से रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस बना रहा है।	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) फास्ट टैग/ परिमित्स/ बैज वाले स्टिकर से शीशे के ढके होने के सिवाय, विंडस्क्रीन पारदर्शी होगा; (ii)विंडस्क्रीन के उपयोग के लिए लैमिनेटेड सुरक्षा शीशा साफ होगा और आई एस : 2553 (भाग 2) में यथा विनिर्दिष्ट ट्रेडमार्क या विनिर्माता के लोगो के अतिरिक्त "एल डब्लू" या II या IV या II/पी के निशान होंगे ; (iii) शीशा क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए रंगीन झिल्ली शीशे पर नहीं चिपकी होगी।
(7)	हॉर्न	नहीं	हां	दृश्यता और कार्यात्मक	आई एस-1884 नियम 119 और आई एस	(1) दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) विभिन्न स्वरों का अनुक्रमण

					15796	देने वाले मल्टीटोंड हॉर्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली युक्ति जो अनुचित रूप से कर्कश, कर्णभेदी, कोलाहलपूर्ण या डरावनी आवाज निकालते हों, का उपयोग नहीं किया जाएगा ; (ii) हॉर्न सुरक्षित तरीके से फिट होगा; (iii) हॉर्न क्रियाशील होगा (2) कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : मोटर पर लगे हार्न का ध्वनि दाब स्तर आई एस :15796 के अनुसार होगा ।
(8) ध्वनिमंदक	(क) ध्वनिमंदक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 120 और आई एस 10399:1998	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) सुनिश्चित करें कि कोई निःसरण नहीं हो रहा है; (ii) ध्वनि मंदक की फिटिंग सुरक्षित करें; (iii) ध्वनिमंदक जंग लगा या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : आई एस : 10399: 1998 के अनुसार स्थिर शोर परीक्षण
	(ख) उत्सर्जित शोर परीक्षण (डीबी)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक		
(9)	हवा रोक शीशा वाइपर					
	(क) हवा रोक शीशा वाइपर फलक	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 101, ए.आई.एस- 045आई.एस.1 5804 और आई एस 15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) वाइपर फलकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; (ii) वाइपर फलक अच्छी दशा में होना चाहिए।
	(ख) हवा रोक शीशा वाइपर प्रणाली	नहीं	हां	कार्यात्मक	नियम 101, ए.आई.एस.- 045, आई एस :15804 और आई एस :15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) हवा रोक शीशे के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादन के लिए प्रत्येक वाइपर बाहु (बाहुल) प्रचालन सुनिश्चित करना (ii) तिपहिया वाहन से भिन्न यानों के लिए हवा रोक शीशा इस प्रकार विखंडन में, वाइपर प्रत्येक हवा रोक शीशा के लिए करणीय होगा वाइपर सुनिश्चित रूप से फिट किया जाएगा ।

(10)	डेश बोर्ड उपस्कर	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस-071 (भाग 1)	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) आरोहण सुरक्षित को सुनिश्चित करना; (ii) तार विद्युत रोहित होगा; (iii) डैश बोर्ड प्रदीपन कार्यात्मक होगा; (iv) एबीएस, लाइट, ब्रेक प्रणाली, बैटरी चार्जिंग ओ बी डी या खराब इंजन, इंधन लेबल, इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन कूलेंट तापमान के लिए चेतावनी लाइट शेष प्रदीपन नहीं होगा।
(11)	रेचन					
	(क) रेचन गैस उत्सर्जन-CO%	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(i)-तालिका	पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित यानों पर लागू
	(ग) रेचन गैस उत्सर्जन- एचसी (पीपीएम)	हां	नहीं			
	(ग) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)-CO%	हां	नहीं		नियम 115 (2)(i)-तालिका क	भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल चालित 4 पहिया यानों और भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल चालित 3 पहिया यानों पर लागू
	(घ) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)-लाम्बडा	हां	नहीं			भारत स्टेज-IV या भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित 4 पहिया यानों और भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित 3 पहिया यानों पर लागू
	(ड.)धुआं घनत्व (डीजल यानों के लिए निःशुल्क त्वरण परीक्षण के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(ii)-तालिका	डीजल संचालित यानों पर लागू
(12)	ब्रेकिंग प्रणाली					
	(क) सर्विस ब्रेक	हां	हां	दृश्यमान और कार्यात्मक	ए.आई.एस - 128	(I) दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) फिटिंग सुरक्षित किया जाएगा; (ii) ब्रेक क्षेत्र क्षति या दरक नहीं होगी;



	(ख) पार्किंग ब्रेक	हां	हां	दृश्यमान और कार्यात्मक		(iii) ब्रेक द्रव का रिसाव न हो; (II) कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं रोलर पर मापित ब्रेकिंग दक्षता सर्विस ब्रेक के लिए परीक्षण कम से कम 27.23 प्रतिशत होनी चाहिए।
(13)	परिचालन गियर	हां	हां	कार्यात्मक	नियम 98	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं: बैक लैश/ परिचालन गियर में 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा।
(14)	तरफ फिसलन परीक्षण (तिपहिया यानों के सिवाए यानों के सभी प्रवर्गों के लिए यह परीक्षण लागू होता है)	हां	नहीं	कार्यात्मक	विनिर्देशन के अनुसार	
(15)	प्रलंबन परीक्षण (तिपहियों अपवर्जित 3.5 तक जी. वी. डब्ल्यू यानों के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	-	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं: अंतर के बीच प्रलंबन प्रणाली वाए अनुपुरक नहीं है और यान दाहिने की तरफ हो।
(16)	जोड़ गतिविधि परीक्षण	हां	हां	दृश्यमान कार्यात्मक	-	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (क) प्रलंबन प्रणाली: (i) चेजिज या धूरी के लिए स्प्रिंग और धक्का अवशोषक के आसंग को सुरक्षित को सुनिश्चित करना; (ii) स्प्रिंगों को क्षतिग्रस्त या विभंजित नहीं होगा; (iii) धक्का अवशोषक अवमंदकों में किसी तेल में रिसाव नहीं होगा; (iv) चूल छल्ला पिन या प्रवणी या प्रलंबन जोड़ों पर अधिक घटित नहीं होगा; (v) वायु प्रलंबन के मामले में श्रवण योग्य प्रणाली में रिसाव ना सुनिश्चित करना (ख) धूरी: (i) धूरी यान को आवद्ध सुरक्षित करना; (ii) धूरी को विभंजित या विकृत नहीं होगा; (iii) चूलछल्ला या पिन या प्रवणी में अत्यधिक पहनना घटित नहीं होगा। (ग) स्टियरिंग प्रणाली: टाई रॉड एंड प्ले या ढीले जोड़ों /बुश की जांच करें।
(17)	स्पीडोमीटर					

	(क) स्पीडोमीटर	हां	हां	दृश्यमान	नियम 117 और आई एस 11827-2008	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित रूप से फिट किया गया; (ii) पर्याप्त रूप से प्रद्वीपित; (iii) डायल आच्छदन खंडित नहीं होगा; (iv) संकेतक सुई का परिचालन।
	(ख) स्पीडोमीटर परीक्षण (ई-रिक्शा या ई-छकड़ा के लिए)	हां	नहीं	कार्यात्मक	विनिर्देशन के अनुसार	यान सीधी या सपाट सड़क पर लदान रहित की दशा (पूर्ण भाड़ा के साथ और पूर्ण संकलक पर की स्थिति पर) में संचालित किया जाएगा और जब यान पूर्ण गति प्राप्त करता है, अधिकतम गति नियतन दूरी (अर्थात् 50 मीटर) यात्रा में लगे समय की माप द्वारा परिकलित की जाएगी। यान की अधिकतम गति 25 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।
(18)	एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के लिए चालन संरक्षण के अधीन पृष्ठ भाग युक्ति आर यू पी डी	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124(1क) और आई.एस. 14812-2005	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण युक्ति, संक्षरित या क्षतिग्रस्त नहीं होगी; (ii) पृष्ठ भाग अधो सवारी युक्ति चटकी हुई, मंदारित या क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए; (iii) यह सुनिश्चित करना कि भूमि निकासी और पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण युक्ति आई एस. 14812-2005 के अनुसार होगी।
(19)	एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के लिए चालन संरक्षण उक्तिन (एलपीडी) अधीन पाशर्वीय	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124 (1क) और आई 14682-2004	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) चालन संरक्षण युक्ति के अधीन पाशर्वीय फिट किया जाएगा; (ii) संरक्षण चालन युक्ति के अधीन पाशर्वीय चटकी हुई, संक्षरित या क्षतिग्रस्त नहीं होगा; (iii) सुनिश्चित करना कि चालन संरक्षण युक्ति के अधीन पाशर्वीय की विमाणं आई. एस. 14682-2004 के अनुसार होगा।
(20)	शीघ्रगामी चिप्पी	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 138(क)	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) ध्वारोक शीशा मुख पर चिपकाया जाए ; (ii) शीघ्रगामी चिप्पी क्षतिग्रस्त

						नहीं होनी चाहिए।
(21)	दिव्यांग यात्रियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए पूर्वीकता सीटों पर पूर्वीकता सीटें, संकेत, बैसाखी/बेंत/वाँकर, हाथ की रेल/डंडों, नियंत्रणों को सुरक्षित करना	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 125ग का उप-नियम(1) और (7) ए.आई. एस. 052 (पुनरीक्षित; 1) और ए.आई.एस 153	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) पूर्वीकता सीट के साथ फिट की गई बसों में बाहर से दृश्यमान चित्रलेख होगा, जो बस के पास दोनों ओर और सुसंगत सेवा द्वार के लिए निकटवर्ती हों; (ii) चित्रलेख पूर्वीकता सीट के लिए आंतरिक निकटवर्ती स्थान होगा; (iii) सभी प्रकार-1 की बसों, मिनी और मध्य बसों के मामले में कम से कम दो यात्री सीटें होंगे और निशक्त व्यक्तियों के लिए पूर्वीकता सीटों के रूप में अभिहित अन्य बसों के मामले में चार यात्री सीटें होंगे। (iv) पूर्वकता सीटें केवल अग्रवर्ती-अग्रभाग प्रकार की होगी और अधिमानता चालक की सीट के पीछे अवस्थित होगी। (v) दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुकर करने के लिए बैसाखी, बेंत/वाकर सुविरचित करने के लिए पूर्वीकता सीटों की समुचित सुविधा प्रदान की जाएगी (vi) सभी प्रकार-1 की बसों में प्रवेश पर हस्थरेल या थमने को प्रदान किया जाएगा (vii) ठहरावों अनुरोध के लिए सभी प्रकार-1 की आई एन डी एक्स बसों में पूर्वीकता सीटों के समीप नियंत्रणों को प्रदान किया जाएगा और जो चालक चेतावनी देता है कि गतिशीलता सहायता उपयोगकर्ता उतरना चाहता है। (viii) संचार युक्तियों को पूर्वीकता सीट के निकट रखा जाएगा।
(22)	दिव्यांग और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए व्हील चेअर प्रवेश/आवासन/अभिबंधन के लिए व्यवस्था	नहीं	हां	दृश्यमान	उपनियम 125ग का उप-नियम (1) और (7) (पुन 1) और ए.आई एस.-153	दृश्यमान निरीक्षण प्राचल: (i) व्हील चेअर से सुसज्जित बसों में, बस के निकट सामने दोनों ओर और सुसंगत सेवा द्वार के समीप, बाहर से दृश्य चित्रलेख लगा होगा (ii) प्रत्येक व्हील चेअर के समीप आंतरिक रूप से, यह उपदर्शित

						<p>करते हुए कि व्हील चेअर को सामने की स्थिति में रखा जाएगा या यान के पृष्ठ की तरफ, एक चित्रलेख लगाया जाएगा।</p> <p>(iii) व्हील चेअर और व्हील चेअर उपयोक्ता को रोकने में समर्थ रोक प्रणाली के साथ व्हील चेअर स्थान प्रदान किया जाएगा।</p> <p>(iv) किसी व्यक्ति की सहायता के बिना व्हील चेअर उपयोक्ता चलाने के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करना।</p> <p>(v) प्रकार-1 के यानों में कम से कम व्हील चेअर उपयोक्ता को समायोजित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र होगा।</p> <p>(vi) संचार युक्तियां परिलक्षित व्हील चेअर क्षेत्र के भीतर स्थित होगी।</p>
(23)	यान अवस्थिति खोज (वीएलटी) युक्ति	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस.140	<p>दृश्यमान निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(i) यान अवस्थिति खोज का संस्थापन किया जाएगा;</p> <p>(ii) आपात चेतावनी बटन चालू होना चाहिए।</p>
(24)	उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 50 और ए. आई. एस-159	<p>दृश्यमान निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(i) यान के आगे और पीछे उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों को संस्थापित किया जाएगा।</p> <p>(ii) सुरक्षित तरीके से लगाया जाएगा।</p>
(25)	बैटरी	नहीं	हां	दृश्य	-	<p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(i) सुरक्षित आधार;</p> <p>(ii) सुनिश्चित करें कि कोई रिसाव न हो;</p> <p>(iii) सुनिश्चित करें ऊपरी सतह स्वच्छ, शुष्क, धूल और कालिक से मुक्त हो।</p>
(26)	सुरक्षा बैल्ट (सीट बैल्ट)	नहीं	हां	दृश्य	नियम 125 (1-क) और एआईएस-015 या आईएस 15140:2003	<p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(i) आज्ञापक सुरक्षा बैल्ट उपलब्ध होगी और सुरक्षित रूप से लगी हुई होगी;</p> <p>(ii) सुरक्षा बैल्ट क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए;</p> <p>(iii) सुरक्षा बैल्ट स्थिरक ढीला नहीं हो;</p>

						(iv) सीट बेल्ट अनुस्मारक प्रणाली, यदि उपलब्ध हो तो कार्य करनी चाहिए। (v) सीट बेल्ट का जी-लॉक क्रियाशील होना चाहिए।
(27)	गति नियंत्रक	हां	हां	दृश्य और क्रियाशील	नियम:118 और एआईएस-018	(I). दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ; (ii) गति नियंत्रक सीलबद्ध होना चाहिए ; (iii) गति नियंत्रक के बिजली तार असंस्कृत नहीं हो ; (II) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन प्रवर्ग के प्रत्येक परिवहन मोटर यान के लिए 80 कि.मी./घं. ; (ii) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित परिवहन यानों के लिए जो डंपर, टैंकर, स्कूल बस है, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं या ऐसे अन्य प्रवर्ग के यान, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकतम गति सीमा 60 कि.मी./घं. या अन्य कोई गति सीमा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए होगी।
(28)	फुआरा निरोध युक्ति	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-013 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: सुरक्षित रूप से लगे हुए फुआरा निरोध युक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
(29)	टायर	नहीं	हां	दृश्य	नियम 94 और नियम 95	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) टायर में कोई भारी नुकसान या कटा हुआ (वल्कनित मरम्मत से भिन्न बाहरी गुल्फत्राण पैबंद द्वारा पैबंद लगाया हुआ या मरम्मत किया हुआ) न हो; (ii) विनिर्माण के समय टायरों में लगे हुए तल्ला घिसाव उपदर्शक

						<p>(टीडब्ल्यूआई) से नीचे तिपहिया यान, चौपहिया यान, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की दशा में गैर फिसलन गहराई (एनएसडी) 0.8 मि.मि. और अन्य मोटर यानों की दशा में 1.6 मि.मी. से कम न हो ;</p> <p>(iii) टायर में ठीक से हवा भरी हो;</p> <p>(iv) टायर, स्थानीय विकृति या उभाड़ द्वारा आरंभिक खराबी के चिन्ह नहीं दर्शाता हो;</p> <p>(v) टायर आवरक वस्त्र, तल्ले के घिसने या किसी अन्य वल्कनित सिरे या उसके किसी भाग में अपघर्षण के कारण प्रदर्शित नहीं होता हो ;</p> <p>(vi) अस्थायी अतिरिक्त पहिया या टायर पंचर मरम्मत किट उपलब्ध हो।</p>
(30)	प्रति-परावर्तक और परावर्तक टेप	और नहीं	हां	दृश्य	<p>नियम:104, एआईएस-090 और एआईएस-037, एआईएस-057 और एआईएस-057 (आरईवी.1)</p>	<p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(अ) परावर्तक-</p> <p>(i) स्वच्छ परावर्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ;</p> <p>(ii) परावर्तक सुरक्षित रूप से लगे हों ;</p> <p>(iii) परावर्तक क्षतिग्रस्त अवस्था में न हों ;</p> <p>(iv) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तकों का रंग, नियम 104 के अनुसार हो अर्थात् पीछे के लिए लाल रंग और आगे के लिए सफेद रंग ।</p> <p><b>(आ) परावर्तक टेप –</b></p> <p>(i) स्वच्छ परावर्तक टेप की उपस्थिति सुनिश्चित करे ;</p> <p>(ii) यान के ढांचे में सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ;</p> <p>(iii) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तक टेप का रंग और अवस्थिति, नियम 104 के अनुसार हो ;</p>

						(iv) परावर्तक टेप क्षतिग्रस्त न हो ; (v) चिन्ह, दृश्य हो, अंकन सामग्री के बाहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हो और अमिट।
<b>विद्युत यानों (ईवी) और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण</b>						
(31)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	नहीं	दृश्य और क्रियाशील	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-038 (आरईवी.1) और (आरईवी.2)	(1)दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुनिश्चित करें कि प्रवेश सलाई विद्युन्मय भागों को स्पर्श न करें ; (ii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष से भिन्न आईपीएक्सएक्सबी क्षेत्र के लिए परीक्षण की दशा में संयुक्त परीक्षण फिंगर को उसकी 80 मि.मी. लंबाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा किंतु रोधन फलक (50 मि.मी. X20 मि.मी. व्यास) द्वार के माध्यम से बाहर न निकलें ; (iii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष के भीतर आईपीएक्सएक्सडी परीक्षण की दशा में प्रवेश सलाई को उसकी पूरी लंबाई में प्रवेश कराया जा सकेगा लेकिन रोधन फलक द्वार के माध्यम से पूरी तरह प्रवेश न करें। (2) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) जब आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी की अपेक्षाएं सलाई और विद्युन्मय भागों के मध्य संकेत परिपथ द्वारा सत्यापित की जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि बत्ती न जले।
(32)	रोधन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल विद्युत यानों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	नहीं	दृश्य	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-038 (आरईवी.1) और (आरईवी.2)	क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: रोधन प्रतिरोध माप 500Ω/वी से अधिक होना चाहिए। (ii) परीक्षण प्राचलों की माप स्वचालित जबकि परीक्षण व्यवस्था हस्तचालित हो सकेगी।

(33)	डैश बोर्ड पर चार्ज की अवस्था का उपदर्शक (एसओसी) केवल इलेक्ट्रिक यानों के लिए)	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-038 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किया गया एसओसी उपदर्शक, बैटरी की चार्जिंग प्रास्थिति को देखने के लिए चालू हालत में होना चाहिए।
<b>दुपहिया यानों पर किए जाने वाले परीक्षण</b>						
(34)	हैड लाइट	हां	हां	क्रियाशील और दृश्य	एआईएस-009 (आरईवी.1): 2011, खंड संख्या 6.2.5.2	उस दशा के सिवाय जहां एक बाहरी समायोजन युक्ति उपस्थित है, पासिंग बीम हैड लैंप का उर्ध्वाधर ढाल 0.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के मध्य रहना चाहिए।
(35)	रेचन					
	(क) रेचन गैस उत्सर्जन-CO%	हां	नहीं	क्रियाशील	नियम 115 (2)(i)- तालिका	
	(ख) रेचन गैस उत्सर्जन-एचसी (पीपीएम)	हां	नहीं	क्रियाशील		
	(ग) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)-CO%	हां	नहीं	क्रियाशील	नियम 115 (2)(i)- तालिका क	बीएस-4 सन्नियमों के अनुसार विनिर्मित पेट्रोल चालित दुपहिया यानों के लिए लागू
	(घ) रेचन गैस उत्सर्जन(उच्च मानक उत्सर्जन)- लाम्बडा	हां	नहीं	कार्यात्मक		बीएस-4 सन्नियमों के अनुसार विनिर्मित पेट्रोल / सीएनजी / एलपीजी चालित दुपहिया यानों के लिए लागू
(36)	प्रणाली ब्रेक	हां	हां	क्रियाशील		
<b>दुपहिया विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण</b>						
(37)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	नहीं	दृश्य और क्रियाशील	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-038 (आरईवी.1) और (आरईवी.2)	(1)दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुनिश्चित करें कि प्रवेश सलाई विद्युन्मय भागों को स्पर्श न करें ; (ii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष से भिन्न आईपीएक्सएक्सवी क्षेत्र के लिए परीक्षण की दशा में संयुक्त परीक्षण फिंगर को उसकी 80 मि.मी. लंबाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा किंतु रोधन फलक (50 मि.मी. X20 मि.मी. व्यास) द्वार के माध्यम से बाहर न निकले ;



						(iii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष के भीतर आईपीएक्सएक्सडी परीक्षण की दशा में प्रवेश सलाई को उसकी पूरी लंबाई में प्रवेश कराया जा सकेगा लेकिन रोधन फलक द्वार के माध्यम से पूरी तरह प्रवेश न करें। (2) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) जब आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी की अपेक्षाएं सलाई और विद्युन्मय भागों के मध्य संकेत परिपथ द्वारा सत्यापित की जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि बत्ती न जले।
(38)	रोधन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी	नहीं	नहीं	क्रियाशीलता	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-038 (आरईवी.1) और (आरईवी.2)	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं: (i) मापा गया रोधन प्रतिरोध 500Ω/वाट से अधिक होना चाहिए। (ii) परीक्षण प्राचलों की माप स्वचालित जबकि परीक्षण व्यवस्था हस्तचालित हो सकेगी।
<b>दुपहिया और तिपहिया वाहनों से भिन्न अन्य वाहनों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण</b>						
(39)	संकेतक लैंप में खराबी – एमआईएल (ओबीडी स्कैन टूल का हिस्सा)	नहीं	नहीं	दृश्य	सीएमवीआर1989 के अनुसार	यदि एमआईएल "चालू" है, तो यह उत्सर्जन सर्किट विच्छिन्नता को इंगित करता है।

**टिप्पण: -**

- (1) क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर उपरोक्त में से किसी भी परीक्षण(णों) में विफल होने वाले यान को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यान के रजिस्ट्रीकृत मालिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पास इस तरह के परिणाम के तीस दिनों के भीतर, जैसा कि प्रारंभिक निरीक्षण की परीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट दोष (त्रुटियों) को ठीक करने के बाद, पुनः परीक्षण के लिए आवेदन करने का अवसर होगा। ऐसे यान का केवल उन परीक्षण (परीक्षणों) के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा जो प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान विफल रहे।
- (2) प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान, यदि यान क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में विफल रहता है और इस तरह के परिणाम के तीस दिनों के भीतर पुनः परीक्षण नहीं किया जाता है, तो ऐसे यान को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा।
- (3) पुनः परीक्षण के दौरान, यदि वाहन प्रारंभिक परीक्षण में विफल सभी परीक्षण (परीक्षणों) को पास करता है, तो इसे फिट घोषित किया जाएगा। हालांकि, पुनः परीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि यान क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38, में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, वाहन के प्रकार के अनुसार जैसा भी मामला हो, तो ऐसे वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा। यदि

पुनः परीक्षण के दौरान, क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 में निर्दिष्ट परीक्षणों को छोड़कर, कोई यान किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, तो ऐसे यान को अनफिट घोषित किया जाएगा।

- (4) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण (आंशिक या पूर्ण परीक्षण) का आदेश दिया जाता है और
- यदि यान क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में विफल रहता है, तो ऐसा वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा।
  - यदि यान उपरोक्त (i) में सूचीबद्ध परीक्षणों के अलावा और क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 (जो केवल सूचना के उद्देश्य से हैं) को छोड़कर किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, तो ऐसे यान को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।
  - यदि यान सभी परीक्षण (क्रमांक 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर, जो केवल सूचना के उद्देश्य के लिए हैं) को पास करता है, तो ऐसे यान को फिट घोषित किया जाएगा।
- (5) प्रत्येक मद के सामने स्तंभ (6) के अधीन उद्धृत संदर्भ और मानक इंगित करते हैं कि ये उपबंध, जो यान के स्वास्थ्य के बारे में रजिस्ट्रीकृत मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए हैं, की क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 और संबंधित एआईएस / आईएस में मौजूद हैं। ये तारीख के अनुसार मान्य हैं और समय-समय पर संशोधित के रूप में लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - किसी भी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मद जैसे, फास्टैग, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट, सुरक्षा बेल्ट (सीटबेल्ट), बैटरी आदि, जिनका परीक्षण उपरोक्त स्तंभ (3) के अनुसार स्वचालित परीक्षण उपस्कर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, उनका परीक्षण इन नियमों के लागू उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

13. उक्त नियमों के नियम 190 के उप-नियम (5) में सारणी-च के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी -

[सारणी-च]

क्र.सं.	उपस्कर	तकनीकी विनिर्देश	
		हल्के वाणिज्यिक यान	मध्यम और भारी वाणिज्यिक यान
1.	रोलर ब्रेक परीक्षक	<p>(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 6 केएन हो</p> <p>(ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर</p> <p>(ग) ब्रेक भार वियोजन <math>\leq 100</math> एन</p> <p>(घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के उपनियम (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो</p> <p>(ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध</p> <p>(च) आसन्न परीक्षण गति: 5 कि.मी./घं. <math>\pm 1</math> कि.मी./घं.</p> <p>(छ) रोलर की सतह</p> <p>i. न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (रोलर सतह के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक की पुष्टि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित अभिकरणों या भारतकी एनएबीएल प्रव्ययित प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थक एनएबीएल प्रव्ययित प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थक</p>	<p>(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 40 केएन हो</p> <p>(ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर</p> <p>(ग) ब्रेक भार वियोजन <math>\leq 100</math> एन</p> <p>(घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के उपनियम (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो</p> <p>(ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध</p> <p>(च) आसन्न परीक्षण गति: न्यूनतम 2.5 कि.मी./घं.</p> <p>(छ) रोलर की सतह</p> <p>i. न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (रोलर सतह के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक की पुष्टि के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित अभिकरणों या भारतकी एनएबीएल प्रव्ययित प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थक एनएबीएल प्रव्ययित प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है)</p>

		<p>दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है)</p> <p>ii. सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे</p> <p>(ओ ई एम द्वारा, किसी नुकसानी के बिना रोलर्स के लिए उपेक्षित उपयोगिता जीवन को विनिर्दिष्ट करते हुए, स्वघोषणा किया जाना आवश्यक है)</p> <p>(ज) माप शुद्धता – <math>\pm 100</math> एन के भीतर</p>	<p>ii. सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे</p> <p>(ओ ई एम द्वारा, किसी नुकसानी के बिना रोलर्स के लिए उपेक्षित उपयोगिता जीवन को विनिर्दिष्ट करते हुए, स्वघोषणा किया जाना आवश्यक है)</p> <p>(ज) माप शुद्धता – मापे गए मान का <math>\pm 2\%</math></p>
2.	धुरी भार माप	<p>(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए।</p> <p>धुरी भार माप प्रणाली को या तो सस्पेंशन टेस्टर या रोलर ब्रेकर टेस्टर उपकरण से अलग या समेकित किया जा सकता है।</p> <p>(ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा.- 3000 कि.ग्रा.</p> <p>(ग) वियोजन 5 कि.ग्रा.</p> <p>(घ) विशुद्धता: माप का <math>\pm 1</math> प्रतिशत</p>	<p>(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार /चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए।</p> <p>धुरी भार माप प्रणाली को या तो सस्पेंशन टेस्टर या रोलर ब्रेकर टेस्टर उपकरण से अलग या समेकित किया जा सकता है।</p> <p>(ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा. - 15000 कि.ग्रा.</p> <p>(ग) वियोजन 5 कि.ग्रा.</p> <p>(घ) विशुद्धता: माप का <math>\pm 1</math> प्रतिशत</p>
3.	सस्पेंशन टेस्टर	<p>(क) एक्साइटेशन का आयाम 6.5 मि. मी. +/- 5 मि. मी.</p> <p>(ख) माप सटीकता <math>\pm 1\%</math> पहिया भार</p>	
4.	साइड स्लिप टेस्टर	<p>(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) मापने की सीमा: <math>\pm 20</math> मी/किमी</p> <p>(ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी</p> <p>(घ) सटीकता <math>\pm 1.0</math> मी/किमी होगी।</p>	<p>(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) मापने की सीमा: <math>\pm 20</math> मी/किमी</p> <p>(ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी</p> <p>(घ) सटीकता <math>\pm 1.0</math> मी/किमी होगी।</p>
5.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर	<p>(क) कम से कम 06 के.एन प्रति प्लेट अधिकतम बल</p> <p>(ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :50-80 मि. मी. (हाइड्रोलिक)</p>	<p>(क) कम से कम 30 के एन प्रति प्लेट अधिकतम बल</p> <p>(ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :100 मि. मी. (हाइड्रोलिक)</p>
6	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर	<p>(क) <math>\pm 30</math> डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम</p> <p>(ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र</p> <p>(ग) माप सटीकता <math>\pm 2\%</math> पूर्ण माप विचलन</p>	<p>(क) <math>\pm 30</math> डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम</p> <p>(ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र</p> <p>(ग) माप सटीकता <math>\pm 2\%</math> पूर्ण माप विचलन</p>

7	अर्ध स्वचालित हेड लाइट परीक्षक	<p>(क) प्रकाश तीव्रता सीमा माप (न्यूनतम): 0-100,000 सीडी</p> <p>(ख) प्रदीप्त तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स</p> <p>(ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टैस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए ।</p> <p>(घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: <math>\pm 50</math> सेमी / 10 मीटर (<math>\pm 5\%</math>)।</p> <p>(ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: माप का <math>\pm 5\%</math></p> <p>(च) हेडलैम्प टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।</p> <p>(छ) झुकाव मापक में अधिकतम विचलन (यान ओरिएंटेशन): <math>\pm 0.1\%</math></p>	<p>(क) प्रकाश तीव्रता सीमा माप (न्यूनतम): 0-100,000 सीडी</p> <p>(ख) प्रदीप्त तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स</p> <p>(ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टैस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए ।</p> <p>(घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: <math>\pm 50</math> सेमी / 10 मीटर (<math>\pm 5\%</math>)।</p> <p>(ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: माप का <math>\pm 5\%</math></p> <p>(च) हेडलैम्प टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।</p> <p>(छ) झुकाव मापक में अधिकतम विचलन (यान ओरिएंटेशन): <math>\pm 0.1\%</math></p>
8	ओपेसीमीटर	<p>(क) एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989/ टी ए पी 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपस्कर।</p>	<p>(क) एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989/ टी ए पी 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपस्कर।</p>
9	निकास गैस विश्लेषक	<p>(क) उपस्कर को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989/ टी ए पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए</p> <p>(ख) सुसंगतनियम 115 से संबंधित उपबंधों के अनुसार न्यूनतम सीमा</p> <p>(ग) मीजरिंग रिजॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है :</p> <p>(i) सीओ: 0.01%</p> <p>(ii) सीओ<sub>2</sub>: 0.1%</p> <p>(iii) एचसी: 1पीपीएम</p> <p>(iv) ओ<sub>2</sub>: <math>\leq 4\%</math> मापित मानों के लिए 0.02% और <math>\geq 4\%</math> मापित मानों के लिए 0.1%</p> <p>(v) लैम्ब्डा: 0.001</p> <p>आरएमपी काउंटर- 10 आरपीएम</p>	<p>(क) उपस्कर को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989/ टी ए पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए</p> <p>(ख) सुसंगत नियम 115 से संबंधित उपबंधों के अनुसार न्यूनतम सीमा</p> <p>(ग) मीजरिंग रिजॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है :</p> <p>(i) सीओ: 0.01%</p> <p>(ii) सीओ<sub>2</sub>: 0.1%</p> <p>(iii) एचसी: 1पीपीएम</p> <p>(iv) ओ<sub>2</sub>: <math>\leq 4\%</math> मापित मानों के लिए 0.02% और <math>\geq 4\%</math> मापित मानों के लिए 0.1%</p> <p>(v) लैम्ब्डा: 0.001</p> <p>आरएमपी काउंटर- 10 आरपीएम</p>

		<p>(घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन <math>\pm 20</math> आरपीएम या रीडिंगका <math>\pm 2\%</math> होगा, जो भी अधिक हो।</p> <p>(ड.)निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।</p> <p>निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को सम्मिलित किया जाना है।</p>	<p>(घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन <math>\pm 20</math> आरपीएम या रीडिंगका <math>\pm 2\%</math> होगा, जो भी अधिक हो।</p> <p>(ड.)निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।</p> <p>निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को सम्मिलित किया जाना है।</p>
10	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर	<p>(क) इस नियम के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) यान के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का उपबंध</p> <p>(ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/ घंटा</p> <p>(घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी / घंटा</p> <p>(ड) सटीकता : दर्शाए गए पठन का <math>\pm 1\%</math></p>	<p>(क) इस नियम के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) यान के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का उपबंध</p> <p>(ग) मापने की सीमा: 20-100 किमी/घंटा</p> <p>(घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी/घंटा</p> <p>(ड.) सटीकता : दर्शाए गए पठन का <math>\pm 1\%</math></p>
11	ध्वनि स्तर मीटर	<p>(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित</p> <p>(ख) मापने का स्तर: <math>\geq 30</math> डीबी से <math>\leq 120</math> डीबी</p> <p>(ग) फ्रीक्वेंसी कऔर ग</p> <p>घ) सटीकता - <math>\pm 1.5</math> डीबी</p> <p>ड) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया</p> <p>च) 220वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पाँवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना</p> <p>(छ) रेजोल्यूशन :0.1 डीबी</p> <p>परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।</p>	<p>(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित</p> <p>(ख) मापने का स्तर: <math>\geq 30</math> डीबी से <math>\leq 120</math> डीबी</p> <p>(ग) फ्रीक्वेंसी कऔर ग</p> <p>घ) सटीकता - <math>\pm 1.5</math> डीबी</p> <p>ड) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया</p> <p>च) 220 वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पाँवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना</p> <p>(छ) रेजोल्यूशन :0.1 डीबी</p> <p>परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।</p>
12	ओबीडी स्कैन टूल	<p>(क) अनुपालना: एसएईजे 1979, एसएईजे 1939 और आईएसओ 27145 के अनुसार ओबीडीआईआई/ईओबीडी /एचडी-ओबीडी/डब्ल्यूडब्ल्यूएच – ओबीडी स्कैन-टूल</p>	<p>(क) अनुपालना: एसएईजे 1979, एसएईजे 1939 और आईएसओ 27145 के अनुसार ओबीडीआईआई/ईओबीडी /एचडी-ओबीडी/डब्ल्यूडब्ल्यूएच-ओबीडी स्कैन-टूल</p>

		(ख) सभी ओबीडी मोड में सहायक होना चाहिए (ग) निदान संचार माध्यम समर्थित: केडब्ल्यूपी 2000 (के-लाइन, सीएएनटीपी 2.0 और आईएसओ-सीएएन), यूएसडी (आईएसओ-सीएएन)	(ख) सभी ओबीडी मोड में सहायक होना चाहिए (ग) निदान संचार माध्यम समर्थित: केडब्ल्यूपी 2000 (के-लाइन, सीएएनटीपी 2.0 और आईएसओ-सीएएन), यूएसडी (आईएसओ-सीएएन)
13	टेस्ट फिंगर्स (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए)	आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी टेस्ट फिंगर्स	आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी टेस्ट फिंगर्स
14	इन्सुलेशन टेस्टर (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए)	(क) रेटेड मापकवोल्टेज: 500वीडीसी / एसी तक (45 से 65 हर्ट्ज) (ख) मापने की सीमा: 10kΩसे 100MΩया बेहतर (ग) सटीकता: 10MΩतक ±2% रीडिंग और 10MΩसे ऊपर ± 5% रीडिंग	(क) रेटेड मापकवोल्टेज: 500वीडीसी / एसी तक (45 से 65 हर्ट्ज) (ख) मापने की सीमा: 10kΩसे 100MΩया बेहतर (ग) सटीकता: 10MΩतक ±2% रीडिंग और 10MΩसे ऊपर ± 5% रीडिंग
15	फ्री रोलर सेट (ऑल व्हील ड्राइव वाहनों पर स्पीडोमीटर परीक्षण के लिए)	(i) वाहन का व्हीलबेस में बड़े बदलाव को समायोजित करने के लिए डिवाइस पोर्टेबल होना चाहिए; (ii) यह चालित एक्सल को फर्श को छुए बिना मुड़ने देगा। यह एक चेसिस से बना होगा जिस पर फ्री टर्निंग व्हील लगे होंगे। (iii) डिवाइस को आस-पास के लोगों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा ताकि एक उचित संयम प्रणाली प्रस्तावित की जा सके।	
16	बोगी रोलर सेट (एक से अधिक लाइव एक्सल एचसीवी पर रोलर ब्रेक टेस्ट या स्पीडोमीटर टेस्ट के लिए)		(i) वाहन से बाहर निकलने के दौरान रोलर्सको लॉक करने के लिए उचित ब्रेकिंग मैकेनिज्म उपलब्ध कराया जाएगा। (ii) बोगी रोलर्स को धुरी के बीच अलग-अलग दूरी को समायोजित करने के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन किया जाना है और ब्रेक और स्पीडोमीटर दोनों का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त रूप से एम्बेड किया जाना है।
<b>दुपहियों के प्रशिक्षण के लिए उपकरणों का तकनीकी विनिर्देश</b>			
17.	रोलर ब्रेक टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रत्येक पहिया लिए अधिकतम भार चार्ज	1 टी
		(ख) अधिकतम मापयोग्य ब्रेक भाग	3 के एन
		(ग) न्यूनतम रोलरव्यास	200 एम एम
		(घ) न्यूनतम रोलर पृथक्करण	380 एम एम

		(ड.)न्यूनतम रोलर लंबाई	350 एम एम
		(च) न्यूनतम हवीलबेस	800 एम एम
		(छ) अधिकतम हवीलबेस	1500 एम एम
		(ज)रोलर सतह न्यूनतम घर्षण गुणांक	0.6
		(झ) रोलर सतह सेवा जीवन	न्यूनतम 50000 घंटे
		(ञ) ब्रेक भार समाधान	<=100 एन
		(ट) ब्रेक भार सटीकता	±100 एन माप मूल्य
		(ठ) अनुमानतः प्रशिक्षण गति	5 कि. मी. /प्रति घंटा
18.	सेमी ऑटोमेटिक हेडलाइट टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रकाश तीव्रता परास माप	0-100000 सीडी
		(ख) प्रदीप्ति तीव्रता परास माप	0-200 लक्स
		(ग)भूमिस्तर से ऊपर उसके केन्द्र के साथ हेडलैंप को मापने में सक्षम हेडलाइट टेस्टर	240एम एम से 1500 एम एम
		(घ) उर्ध्वाधर और क्षैतिज माप परास	±50 सेमी/10एम (±5%)
		(ड.)तीव्रता का अधिकतम वचलन	पाठ्यांक का ±5 %
		(च) हैडलैंप टेस्टर पूरी तरह से समतल सतह/ रेल्स पर रखा जाना चाहिए	
<b>तिपहिया परीक्षण के लिए उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश</b>			
19.	टोइंग ट्राली या रेल ट्रॉली (तीन पहिया वाहन के अगले पहिए के लिए)	(i) टोइंग ट्रॉली निरीक्षण पिट पर फिसलने से तिपहिया वाहनों के आगे के पहिए की सुरक्षित आवाजाही में सक्षम होनी चाहिए। (ii) ट्रॉली पर तीन पहिया वाहनों के सामने लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लॉकिंग मैकेनिज्म प्रदान किया जाना चाहिए।	

(ख) उप-नियम (6) में सारणी-छ में क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“8	जीपीएस सक्षम कैमरा	(क) रीजोल्यूशन: न्यूनतम 20 मेगापिक्सेल (ख) ऑप्टिकल जूम: 3एक्स (ग) विशेष विशिष्टताएं: बिल्ट-इन वाईफाई और जीपीएस सपोर्ट (उच्च संवेदनशीलता, कैमरे में उच्च सटीकता बिल्ट-इन जीपीएस, जिससे उपयोगकर्ताओं को जीपीएस के साथ समन्वय में इमेजेस को टैग कर सकते हैं, शूटिंग स्थानों को याद रखने और यहां तक कि इसके लॉगिंग फंक्शन के साथ यात्रा किए गए मार्ग को भी रखने) करने की अनुमति देता है।
----	--------------------	--

14. उक्त नियमों में, प्ररूप 63 में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा –

“4. भूमि का ब्यौरा	प्रस्तावित स्थान – स्वामित्व/पट्टे का विवरण (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाए, यदि उपलब्ध हो)”
--------------------	---

15. उक्त नियमों में, प्ररूप 64 में, मद संख्या (घ) के सामने, “7. वचनबद्ध क्रम संख्या और शीर्ष ऑटोमोबाइल स्पेयर्स” शब्दों के पश्चात् “या वाहनों की स्कैपिंग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त नियमों में, प्ररूप 66 में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी -

“1. परीक्षण उपकरण पूर्णता और अंशशोधन

क्र.सं.	उपकरण	उपलब्ध (हां/नहीं)	क्रियाशील (हां/नहीं)	अंशशोधन की तारीख
(क)	रोलर ब्रेक टेस्टर			
(ख)	धुरी का वजन			
(ग)	सस्पेंशन टेस्टर			
(घ)	साइड स्लिप टेस्टर			
(ड.)	ज्वाइंट प्ले टेस्टर			
(च;)	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर			
(छ.)	सेमी-ऑटोमैटिक हेड लाइट टेस्टर			
(ज.)	ओपेसीमीटर			
(झ.)	निकास गैस विश्लेषक			
(ञ.)	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर			
(ट.)	ध्वनि स्तर मीटर			
(ठ.)	ओबीडी स्कैन टूल			
(ड.)	टेस्ट फिंगर			
(ढ.)	इंसुलेशन टेस्टर			

17. उक्त नियमों में, प्ररूप 67 में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा -

"2. परीक्षण उपकरण पूर्णता और अंशशोधन

क्र. सं.	उपकरण	उपलब्ध (हां/नहीं)	क्रियाशील (हां/नहीं)	अंशशोधन की तारीख
(क)	रोलर ब्रेक टेस्टर			
(ख)	धुरी का वजन			
(ग)	सस्पेंशन टेस्टर			



(घ)	साइड स्लिप टेस्टर			
(ङ)	ज्वाइंट प्ले टेस्टर			
(च)	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर			
(छ)	सेमी-ऑटोमैटिक हेड लाइट टेस्टर			
(ज)	ओपेसीमीटर			
(झ)	निकास गैस विश्लेषक			
(ञ)	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर			
(ट)	ध्वनि स्तर मीटर			
(ठ)	ओबीडी स्कैन टूल			
(ड)	टेस्ट फिंगर			
(ढ)	इंसुलेशन टेस्टर			

18. उक्त नियमों में, प्ररूप 68 में, क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा -

"3. परीक्षण स्टेशन विवरण

	प्रारंभिक परीक्षण	पहला पुनःपरीक्षण	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परीक्षण
स्टेशन का नाम			
स्टेशन का पता			
परीक्षण की तारीख			
परीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना			

19. उक्त नियमों में, प्ररूप 68 के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप 69

[नियम 181 (7) देखें]

यान परीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररूप  
एटीएस ऑपरेटर का नाम, लोगो और विवरण

क्यूआर कोड	<जीपीएस समन्वित तारीख और समय> <वाहन के रजिस्ट्रीकरण प्लेट का चित्र>
------------	--

स्वचालित परीक्षण केन्द्र का साधारण विवरण								
रजिस्ट्रीकरण संख्या	स्थान			कार्यान्वयन कर्ता अभिकरण का नाम	परीक्षण सं.	परीक्षण की तारीख (ता. - मा. - वर्ष)	परीक्षण का समय	परीक्षण की स्थिति (प्रारंभिक परीक्षण/ प्रथम पुनः परीक्षण/ द्वितीय पुनः परीक्षण <sup>(1)</sup> )
	आरटीओ	जिला	राज्य					

फिटनेस परीक्षण/पुनः परीक्षण की निर्धारित तारीख	
--	--

यान का ब्यौरा										
रजिस्ट्रीकरण सं.	वाहन की श्रेणी	मेक	मॉडल	इंजन संख्या	चैसिस नंबर	इंधन का प्रकार	उत्सर्जन मानदण्ड	गति निर्धारक संख्या (यदि कोई हो)	जीवीडब्ल्यू (किलो)	निर्माण का वर्ष

## 1. स्वचालित उपस्कर अंशांकन का ब्यौरा

क्र.सं.	उपस्कर का नाम	आई.डी. सं.	अंशांकन आवृत्ति	अंतिम अंशांकन की तारीख
1	रोलर ब्रेक परीक्षक			
2	धुरी भार मापन के लिए उपस्कर			
3	संस्पेशन परीक्षक			
4	साइड स्लिप परीक्षक			
5	ज्वाइंट प्ले परीक्षक		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले संसूचन			
7	अग्रदीप परीक्षक (अर्ध-स्वचालित/पूर्णतः स्वचालित)			
8	ओपेसीमीटर/ स्मोक मीटर			
9	निकास गैस विश्लेषक			
10	चालमापी परीक्षक/गति-नियंत्रक			

	परीक्षक			
11	ध्वनि स्तर मीटर			
12	परीक्षण फिंगर्स		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
13	विसंवाहक परीक्षक			
14	खराबी संकेतक लैंप - एमआईएल (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

## 2. निरीक्षण परिणाम

क. क्वैट्टिसाइकल, हल्के, मध्यम और भारी मोटर यानों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मान/टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
<b>भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
1	(क) बायां हेडलैम्प डिप्ड बीम लंबवत विचलन (%)	1 (क)			
	(ख) दायां हेडलैम्प डिप्ड बीम लंबवत विचलन (%)	1 (ख)			
2	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	11 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	11 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	11 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - लैम्बडा $\lambda$	11 (घ)			
	(ड.) स्मोक घनत्व ( $m^{-1}$ )	11 (ड.)			
3	सर्विस ब्रेक दक्षता (%)	12 (क)			
4	स्टीयरिंग गियर फ्री प्ले (डिग्री)	13			
<b>भाग ख: स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
5	गति नियंत्रक	27			
<b>भाग ग: स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
6	साइड स्लिप टेस्ट	14			लागू नहीं होता
7	निलंबन परीक्षण	15			लागू नहीं होता
8	ज्वाइंट प्ले टेस्ट	16			लागू नहीं होता
9	पार्किंग ब्रेक दक्षता (%)	12 (ख)			लागू नहीं होता
10	स्पीडोमीटर परीक्षण	17(क)			लागू नहीं होता
<b>भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					

11	विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31			
12	रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32			
<b>भाग ड.: गैर-स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
13	हेडलैम्प असेंबली	2			
14	प्रकाश	3			
15	सप्रेसर कैप / हाई टेंशन केबल	4			
16	पीछे देखने के लिए शीशा	5			
17	सुरक्षा ग्लास (विंडस्क्रीन)	6			
18	हार्न	7			
19	साइलेंसर	8 (क)			
20	(क) विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड	9 (क)			
	(ख) विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम	9 (ख)			
21	डैशबोर्ड उपकरण	10			
22	चालन संरक्षण के अधीन पृष्ठ भाग (आरयूपीडी) (एन2, एन3, टी3 और टी4 के लिए)	18			
23	चलने के अधीन पार्श्वीय सुरक्षा डिवाइस (एलयूडीपी) (एन2, एन3, टी3 और टी4 के लिए)	19			
24	फास्टैग	20			
25	प्राथमिकता वाली सीटें, संकेतक, विभिन्न रूप से सक्षम यात्रियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए बैसाखी / बेंत / बाँकर, रेलिंग / डंडे की उपलब्धता, प्राथमिकता वाली सीटों पर नियंत्रण (केवल बसों के लिए)	21			
26	विभिन्न रूप से सक्षम यात्रियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था (केवल बसों के लिए)	22			
27	यान स्थान ट्रेकिंग (वीएलटी) डिवाइस	23			
28	उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	24			
29	बैटरी	25			
30	सुरक्षा बेल्ट (सीटबेल्ट)	26			
31	स्प्रे सस्पेंशन उपकरण (सभी एन, टी3 और टी4 के लिए)	28			
32	टायर	29			
33	रेट्रो- रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	30			

34	डैशबोर्ड पर चार्ज की स्थिति(एसओसी) का इंडिकेटर (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए)	33			
<b>भाग च: गैर-स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
35	खराबी संकेतक लैंप - एमएलआई (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)	39			
36	उत्सर्जित शोर परीक्षण (डीबी)	8 (बी)			

## ख. तिपहिया यानों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मूल्य /टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
<b>भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
1	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	11 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	11 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	11 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - लैम्डा $\lambda$	11 (घ)			
	(ड.) स्मोकघनत्व ( $m^{-1}$ )	11 (ड.)			
2	सर्विस ब्रेक दक्षता (%)	12 (क)			
3	स्पीडोमीटर (ई-रिक्शा या ई-कार्ट के लिए)	17 (ख)			
<b>भाग ग: स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
4	पार्किंग ब्रेक दक्षता (%)	12 (ख)			लागू नहीं
<b>भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
5	विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31 अथवा 37			
6	रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32 अथवा 38			
<b>भाग ड.: गैर-स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
7	हेडलैम्प असेंबली	2			
8	प्रकाश	3			
9	सप्रेसर कैप / हाई टेंशन केबल	4			
10	पीछे देखने के लिए शीशा	5			
11	सुरक्षा ग्लास (विंडस्क्रीन)	6			
12	हार्न	7			

13		साइलेंसर	8 (क)		
14	(क)	विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड	9 (क)		
	(ख)	विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम	9 (ख)		
15		डैशबोर्ड उपकरण	10		
16		उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	24		
17		बैटरी	25		
18		टायर	29		
19		रेट्रो- रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	30		
20		डैशबोर्ड पर चार्ज की स्थिति(एसओसी) का इंडिकेटर (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए)	33		
<b>भाग च: गैर-स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
21		उत्सर्जित आवाज़ परीक्षण (डीवी)	8 (ख)		

### ग. दो-पहिया यानों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मूल्य /टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
<b>भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
1	हेडलाइट पासिंग बीम लंबवत विचलन (%)	34			
2	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	35 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	35 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	35 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - लैम्ब्डा $\lambda$	35 (घ)			
<b>भाग ख: स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
3	ब्रेक दक्षता (%)	36			
<b>भाग ग: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना</b>					
4	विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31 अथवा 37			
5	रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32 अथवा 38			
<b>भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण - यान के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी</b>					
6	खराबी संकेतक लैंप - एमएलआई (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)	39			

## 3. समग्र परिणाम

--

## 4. सारांश (पहचान की गई समस्याएं):

--

## 5. परीक्षण के चित्र (अपलोड किए जाएं):


## 6. परीक्षक अधिकारी की टिप्पणियां:

--

[फा. सं. आरटी-25035/05/2021-आरएस]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** मुख्य नियम अजधसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि 714(अ), तारीख 20 सितम्बर 2022 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2022

**G.S.R. 797(E).**—WHEREAS the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 221 (E), dated the 25th March, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th March, 2022;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 174, in sub-rule (1), in clause (xi), for item (c), the following item shall be substituted, namely:—

“(c) which has been declared End of Life Vehicle under the provisions of this Chapter; or”.

3. (a) in rule 175 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely:—

“(3A) The Central Government shall set up an electronic portal for Single Window Clearance on which the applicant will apply and upload documents and required fee for registration.”;

(b) in sub-rule (4), in clause (ii), after the words “take into consideration”, the words “the possible utilization of the automated testing stations and” shall be inserted.

4. In rule 176 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1),

(i) in the first proviso, after the words “or automobile spares”, the words "or scrapping of vehicles" shall be inserted;

(ii) in the second proviso, after the words “or automobile spares”, the words "or scrapping of vehicles" shall be inserted;

(b) in sub-rule (4), the words “and should have a positive profit after tax in the last two financial years” shall be omitted;

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) If the owner or operator of an automated testing station is a government body then the application fee for grant of Preliminary Registration Certificate, Registration Certificate and security deposit or bank guarantee for registration certificate shall not be applicable and such entities shall also be exempt from meeting financial criterion specified in sub-rule (4) of rule 176, sub-rule (4).”.

5. In rule 177 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(1) There shall be no conflict of interest during the course of operations that may arise or may be perceived to influence or compromise the professional conduct of the owner or operator of an automated testing station.”.

6. In rule 178 of the said rules, for after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(7) The premises where the automated testing station is to be housed shall either be owned or taken on lease or hired by the owner for a period not less than ten years.”.

7. In rule 180 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(2) A Registration Certificate shall be valid for a period of ten years from the date of issuance and its subsequent renewal shall be valid for a period of ten years from the date of renewal, and an application for renewal of registration may be made three months before the expiry of the period of such registration.”.

8. In rule 181 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), after the words “laid down by the Central Government”, the words “and the vehicle owner shall get the refund of the fee deposited on cancelling the appointment for fitness test.” shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the words “following documents and information shall be uploaded”, the words “or entered, as applicable,” shall be inserted;

(c) in sub-rule (6), in clause (ii), after the words “shall be automatically transmitted”, the words "from testing equipment" shall be inserted;

(d) in sub-rule (7), after the words “and test report”, the words “in Form 69,” shall be inserted;

(e) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(9) Notwithstanding anything in the fourth proviso to sub-rule (1) of rule 62, the automated testing station may accept and test the vehicle registered in any of the States or Union territories.”.

9. In rule 182 of the said rules, in sub-rule (3), after the words “declared as End of Life Vehicle”, the words “or unfit as the case may be” shall be inserted.

10. In rule 183 of the said rules, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the Appellate Authority is not able to process the appeal within fifteen working days of its receipt, the appeal shall be deemed to have been allowed and the vehicle owner shall ensure the re-test of the vehicles is scheduled within thirty days.”.



11. In rule 184 of the said rules,—

(a) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) The audit and assessment of an automated testing station shall be conducted every six months and the cost of such audit and assessment shall be borne by the operator of the automated testing station and the operator shall upload the audit and assessment report on the electronic portal specified by the Central Government within one month of the completion of the bi-annual financial year, that is, by 31st October and 30th April of that financial year.”.

(b) in sub-rule (8), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) The rectification report shall be submitted to the audit and assessment agency for approval, and to the registering authority for information, within such period as may be directed by the registering authority, through the electronic portal specified by the Central Government.”.

12. In rule 189 of the said rules, in sub-rule (1), for Table-D the following table shall be substituted, namely:—

**Table-D**

SI. No.	Item	Auto-mated Test (Yes/No)	Check Fitment (Yes/No)	Visual Check/ Functional Test	Reference Rules / Standards for more details	Notes for information
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Headlamp dipped Beam	Yes	No	Functional	AIS-128	Functional test requirements: Horizontal cut off of passing beam shall always be below headlamp centreline and the deviation shall be within 0.5% to 2.5%.
(2)	Headlamps Assembly	No	Yes	Visual	rule 105 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Bulb should be working; (ii) Head lamp operating switch working; (iii) No broken lens; (iv) Lens of the lamp should not be painted with colour OR pasted with sticker (v) No moisture deposition on the inside surface of the lens.
(3)	Lights					
	(a) Top Lights	No	Yes	Visual	rule 107, 108 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) For the lamps with dual coloured lens, red lens shall be oriented towards rear and white shall be towards front; (v) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (vi) Secured fitment of the lamps.
	(b) Stop Lights	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS-009 or AIS-009	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working on actuation of the brake;

				(Rev.1)	(iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
(c) Parking Lights	No	Yes	Visual	rule 109 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Colored lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
(d) Fog Lamps (if fitted)	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
(e) Warning Lights in Ambulance	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-125(Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
(f) Number Plate Light	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) White light shall be used for illuminating number plate; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
(g) End-Outline Marker Lamps	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured fitment of end-outline marker lamps; (ii) Coloured lens shall not be faded; (iii) Lens should not be broken; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Red coloured lens shall face towards rear and white lens to the front.
(h) Direction Indicators	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens;

						(v) Secured fitment of the lamps.
	(i) Hazard Warning Signal lamp	No	Yes	Visual	AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour; (ii) Ensure simultaneous operation of all direction indicator lamps by use of switch.
(4)	Suppressor cap/ High Tension cable	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (A) Suppressor Cap: (i) Suppressor cap shall be in good condition (B) High Tension Cable: (i) High Tension cable shall be properly insulated; (ii) Proper terminal connections shall be made on both sides of High-Tension cable.
(5)	Rear View Mirrors	No	Yes	Visual	rule 125(2) and AIS-002 (Part-1) & (Part-2) (Rev. 1)	Visual inspection parameters: Ensure fitment of required class of the mirror as per AIS 002 (Part-1) / (Part-2) (Rev-1);  Symbol I / II / III / IV / V / VI / VII specifying the class to which the type of mirror belongs shall be ensured on the mirror marking; Secured fitment of mirrors in good condition.
(6)	Safety Glass (Windscreen)	No	Yes	Visual	(a) rule 100 and IS:2553 (Part 2) (b) Bureau of Indian Standards marking for the vehicles registered from 1st April, 2021.	Visual inspection parameters: (i) Except the glass area covered by stickers such as FasTag / Permits / Badges, the windscreen glass shall be transparent; (ii) the laminated safety glass for windscreen application shall bear clear and indelible 'LW' or 'II' or IV or II/P marking in addition to the trademark or manufacturer' s logo as specified in IS:2553 (Part 2); (iii) Glass shall not be damaged/cracked; Coloured films shall not be pasted on the glass.
(7)	Horn	No	Yes	Visual and Functional	IS-1884, rule 119and IS- 15796	(1) Visual inspection parameters: (i) Multi-toned horn giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise shall not be used; (ii) Horn shall be securely fitted; (iii) Horn shall be functioning;

						(2) Functional test requirements: (i) Sound pressure level of the horn installed on the vehicle shall be as per IS: 15796.
(8)	Silencer					
	(a) Silencer	No	Yes	Visual	rule 120 and IS10399:1998	Visual inspection parameters: (i) Ensure no leakage; (ii) Secured fitment of silencer; (iii) Silencer shall not be excessively rusty or damaged; Functional test requirements: (i) Stationary noise test as per IS10399:1998
	(b) Exhaust Noise Test (dB)	No	No	Functional		
(9)	Windscreen Wiper					
	(a) Windscreen Wiper Blades	No	Yes	Visual	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameters: (i) Ensure presence of wiper blades; (ii) Wiper blade shall be in good condition.
	(b) Windscreen Wiper System	No	Yes	Functional	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameter: (i) Ensure operation of each wiper arm(s) to cover maximum area of the windscreen; (ii) In split type windscreen for vehicles other than three- wheelers, wiper shall be operable for each windscreen; Wiper shall be securely fitted.
(10)	Dashboard Equipment	No	Yes	Visual	AIS-071 (Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured mounting; (ii) Wiring shall be insulated; (iii) Dashboard illumination shall be functioning; (iv) Warning lights for ABS, lights, brake system, battery charging, OBD or engine malfunction, fuel label, engine oil pressure, engine coolant temperature shall not remain illuminated.
(11)	Exhaust					
	(a) Exhaust gas emission – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) - TABLE	Applicable for Petrol/CNG/LPG driven vehicles
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	Yes	No			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	Yes	No		Rule 115 (2) (i) - TABLE A	Applicable for petrol driven 4-Wheeler vehicles manufactured as per BS IV or BS VI norms and petrol driven 3-Wheeler vehicles manufactured as per BS VI norms
	(d) Exhaust gas	Yes	No			Applicable for petrol/CNG/LPG

	emission (High idle emission) – Lambda					driven 4-Wheeler vehicles manufactured as per BS IV or BS VI norms and petrol/CNG/LPG driven 3-Wheeler vehicles manufactured as per BS VI norms
	(e) Smoke Density (Free Acceleration test applicable for Diesel vehicles)	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (ii) - TABLE	Applicable for Diesel vehicles
(12)	Braking System					
	(a) Service Brakes	Yes	Yes	Visual and Functional	AIS-128	(1) Visual inspection parameters: (i) Fittings shall be secured; (ii) Brake hoses shall not be damaged or cracked; (iii) No leakage of brake fluid. (2) Functional test requirements for service brakes: Braking efficiency measured on roller brake tester should be at least 27.23%.
	(b) Parking Brakes	Yes	Yes	Visual and Functional		
(13)	Steering Gear	Yes	Yes	Functional	rule 98	Functional test requirements: Back-lash / Free play in steering gear shall not be more than 30 degrees.
(14)	Side Slip Test (This test applies to all categories of vehicles except 3-wheelers)	Yes	No	Functional	As per specification	
(15)	Suspension Test (Applicable for vehicles having GVW upto 3.5 ton excluding 3-wheelers)	Yes	No	Functional	-	Functional test requirements: No significant difference between suspension system efficiency of left and right side of vehicle.
(16)	Joint Play Test	No	Yes	Visual and Functional	-	Visual inspection parameters: <b>(A) Suspension system:</b> (i) Ensure secured attachment of springs and shock absorbers to chassis or axle; (ii) Springs shall not be damaged or fractured; (iii) Shock absorber dampers shall not have any oil leakage; (iv) Excessive wear shall not happen in swivel pin or bushes or at suspension joints; (v) In case of Air suspension, ensure no audible system leakage

						<p><b>(B) Axle:</b></p> <p>(i) Secured fixing to the vehicle;</p> <p>(ii) Axle shall not be fractured or deformed;</p> <p>(iii) Excessive wear shall not happen in the swivel pin or bushes.</p> <p><b>(C) Steering System:</b> Check for tie rod ends play or loose joints /bushes etc.</p>
(17)	Speedometer					
	(a)Speedometer	Yes	Yes	Visual	rule 117 and IS-11827-2008	Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Sufficiently illuminated; (iii) Dial cover shall not be broken; (iv) Indicator needle operational.
	(b)Speedometer Test (For E-rickshaw or E-cart)	Yes	No	Functional	As per specification	The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight, flat road or roller and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (viz 50 metres). Maximum speed of the vehicle shall not be more than 25 km/hr.
(18)	Rear under run protection device (RUPD) for N2, N3, T3and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS-14812-2005	Visual inspection parameters: (i) Rear Underride Protection Device shall be fitted; (ii) Rear Underride Protection Device shall not be cracked, corroded or damaged; (iii) Ensure that ground clearance and dimensions of Rear Underride Protection Device shall be as per IS-14812-2005.
(19)	Lateral under run protection device (LUPD) for N2, N3, T3and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS-14682-2004	Visual inspection parameters: (i) Lateral under run protection device shall be fitted (ii) Lateral under run protection device shall not be cracked, corroded or damaged (iii) Ensure that dimensions of Lateral under run protection device shall be as per IS-14682-2004.
(20)	FASTag	No	Yes	Visual	rule 138 (A)	Visual inspection parameters: (i) To be affixed on the front windscreen; (ii) FASTag shall not be damaged.
(21)	Priority Seats, Signs, securing	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of	Visual inspection parameters: (i) Buses fitted with a priority seat

	of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility				rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS- 153	shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s); (ii) A pictogram shall be placed internally adjacent to the priority seat; (iii) All Type I buses shall have at least two passenger seats in case of Mini and Midi buses and four passenger seats in case of other buses designated as priority seats for persons with disabilities; (iv) Priority seats shall be only of the forward-facing type and preferably be located behind the driver's seat; (v) The priority seats shall be provided with appropriate facility for securing the crutches, canes, walkers etc. to facilitate convenient travel for persons with disabilities; (vi) Handrails or stanchions shall be provided at the entrance of all Type I buses; (vii) All Type I NDX buses shall be provided with controls adjacent to priority seats for requesting stops and which alert the driver that a mobility aid user wishes to disembark; (viii) Communication devices shall be placed adjacent to any priority seat.
(22)	Wheel chair entry/housing/ locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS-153	Visual inspection parameters: (i) Buses fitted with a wheelchair space shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s); (ii) One of the pictograms shall be placed internally adjacent to each wheelchair space indicating whether the wheelchair is to be positioned facing the front or the rear of the bus; (iii) Wheelchair space shall be provided with a restraint system capable of restraining the wheelchair and the wheelchair user; (iv) Ensure sufficient space available for the Wheelchair user to maneuver without the assistance of

						a person; (v) Vehicles of Type I shall have identified area to accommodate at least one wheelchair user; (vi) Communication devices shall be placed within identified wheelchair area.
(23)	Vehicle Location Tracking (VLT) Device	No	Yes	Visual	AIS-140	Visual inspection parameters: (i) Vehicle Location Tracking shall be installed; (ii) Emergency alarm button shall be working.
(24)	High Security Registration Plate (HSRP)	No	Yes	Visual	rule 50 and AIS-159	Visual inspection parameters: (i) High Security Registration Plates installed at the front & rear of the vehicle; (ii) Securely fixed.
(25)	Battery	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (i) Secured mounting; (ii) Ensure no leakage; (iii) Ensure top is clean, dry, free of dirt and grime.
(26)	Safety belt (Seatbelt)	No	Yes	Visual	rule 125(1-A) and AIS- 015 or IS 15140:2003	Visual inspection parameters: (i) Mandatory safety belts shall be available and securely fitted; (ii) Safety belts shall not be damaged; (iii) Safety belt anchorage shall not be loose; (iv) Seatbelt reminder system, if available, should be functioning; (v) G-lock of seatbelt should be functioning.
(27)	Speed Governor	Yes	Yes	Visual and Functional	rule:118 and AIS-018	(1) Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Speed governor shall be sealed; (iii) Electrical wirings of speed governor shall not be disconnected; (2) Functional test requirements: (i) 80 km/hr for every transport motor vehicle of category M and N manufactured on or after 01 <sup>st</sup> Oct, 2015; (ii) For transport vehicles manufactured on or after 01 <sup>st</sup> October, 2015 that are dumpers, tankers, school buses, those carrying hazardous goods or any other category of vehicles, as may be specified by the Central Government by notification, the maximum speed limit is 60 km/hr



						or any other speed as specified by the State Government.
(28)	Spray Suppression Devices	No	Yes	Visual	AIS-013 (Rev. 1)	Visual inspection parameters: Ensure presence of securely fitted spray suppression devices.
(29)	Tyres	No	Yes	Visual	rule 94 and 95	Visual inspection parameters: (i) Tyres shall not have any serious damage (patched or repaired by an outside gaiter patch other than a vulcanized repair) or cut; (ii) The Non-Skid Depth (NSD), shall not be less than 0.8 mm in the case of three wheelers, quadricycle, E-rickshaw and E-Card and 1.6 mm in the case of other motor vehicles, below the Tread Wear Indicator (TWI) embedded in tyres at the time of manufacture; (iii) Tyres shall be properly inflated; (iv) Tyres shall not show signs of incipient failure by local deformation or swelling; (v) Tyre casing fabric shall not be exposed due to wear of the tread or by any unvulcanised cut or abrasion in any of its parts; (vi) Temporary spare wheel or tyre puncture repair kit shall be available.
(30)	Retro-Reflector and reflective tapes	No	Yes	Visual	rule: 104, AIS-090 and AIS- 037, AIS- 057 and AIS-057 (Rev.1)	Visual inspection parameters: <b>(A) Reflectors</b> (i) Ensure presence of clean reflectors; (ii) Secured fitment of reflectors; (iii) Reflectors shall not be in damaged condition; (iv) Ensure that colour of reflectors shall be as per rule 104 i.e., red colour to the rear or white to the front. <b>(B) Reflective Tapes –</b> (i) Ensure presence of clean reflective tapes; (ii) Securely pasted to vehicle body; (iii) Ensure that size, colour and location of reflective tapes shall be as per rule 104; (iv) Reflective tapes shall not be damaged; (v) The marks shall be visible, clearly legible on the outside of the

						marking material and shall be indelible.
<b>Additional tests to be conducted on Electric Vehicles (EV) &amp; hybrid-electric power train vehicles</b>						
(31)	Protection against electric shock. (For electric & hybrid electric power train vehicles only) if system voltage is >60 V DC or 30 V AC)	No	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1) and (Rev. 2) as amended from time to time	(1) Visual inspection parameters: (i) Ensure access probe shall not touch live parts; (ii) In the case of the test for IPXXB in the areas other than passenger compartment or luggage compartment, the jointed test finger may penetrate to its 80 mm length, but the stop face (diameter 50 mm x 20 mm) shall not pass through the opening; (iii) In case of the tests for IPXXD inside the passenger compartment or luggage compartment, the access probe may penetrate to its full length, but the stop face shall not fully penetrate through the opening. (2) Functional test requirements: (i) When the requirements of IPXXB and IPXXD are verified by a signal circuit between the probe and live parts, ensure that the lamp shall not light
(32)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles & hybrid electric power train vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	No	No	Functional	AIS-038 (Rev.1) and (Rev. 2) as amended from time to time	Functional test requirements: (i) Insulation resistance measured should be greater than 500Ω/V. (ii) The measurement of test parameters may be automated while test set-up is manual
(33)	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (For Electric vehicles only)	No	Yes	Visual	AIS-038 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Manufacturer supplied SOC indicator shall be in working condition to see charging status of Battery.
<b>Tests to be conducted on Two Wheelers</b>						
(34)	Headlight	Yes	Yes	Functional and Visual	AIS-009 (Rev.1): 2011, Clause no. 6.2.5.2	The vertical inclination of the passing beam headlamp shall remain between - 0.5% and - 2.5%, except in the case where an external adjusting device is present.

(35)	Emission					
	(a) Exhaust gas emission – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) – TABLE	
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	Yes	No	Functional		
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) - TABLE A	Applicable for petrol driven 2-Wheeler vehicles manufactured as per BS VI norms
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda $\lambda$	Yes	No	Functional		Applicable for petrol/CNG/LPG driven 2-Wheeler vehicles manufactured as per BS VI norms
(36)	Braking System	Yes	Yes	Functional		
<b>Additional tests to be conducted on Two-Wheeler Electric Vehicles</b>						
(37)	Protection against electric shock (For electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	No	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1) and (Rev. 2) as amended from time to time	(1) Visual inspection parameters: (i) Ensure access probe shall not touch live parts; (ii) In the case of the test for IPXXB in the areas other than passenger compartment or luggage compartment, the jointed test finger may penetrate to its 80 mm length, but the stop face (diameter 50 mm x 20 mm) shall not pass through the opening; (iii) In case of the tests for IPXXD inside the passenger compartment or luggage compartment, the access probe may penetrate to its full length, but the stop face shall not fully penetrate through the opening. (2) Functional test requirements: (i) When the requirements of IPXXB and IPXXD are verified by a signal circuit between the probe and live parts, ensure that the lamp shall not light
(38)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60V DC or	No	No	Functional	AIS-038 (Rev.1) and (Rev. 2) as amended from time to time	Functional test requirements: (i) Insulation resistance measured should be greater than 500 $\Omega$ /V. (ii)The measurement of test parameters may be automated while test set-up is manual

	30V AC					
<b>Additional tests to be conducted on Vehicles other than Two Wheeler and Three Wheeler</b>						
(39)	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	No	No	Visual	As per CMVR 1989	If MIL is "On", it indicates the emission circuit discontinuity.

**Notes.**

(1) The vehicle that fails any of the above tests, except serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 (which are only for information purpose, informing about the health of the vehicle to the owner), shall be declared **Unfit**. The registered owner or authorised signatory of the vehicle shall have an opportunity to apply for a re-test within thirty days of such result, after getting the defect specified in the test report of initial inspection, rectified. Such vehicle shall be re-tested only for the test(s) which it failed during initial inspection.

(2) During the initial inspection, if the vehicle fails any of the tests as specified in serial number (1), (11), (12(a)), (13), 17(b), (31), (32), (34), (35), (37) and (38) and is not re-tested within thirty days of such result, such vehicle shall be declared as End-of-Life Vehicle (ELV).

(3) During re-test, if the vehicle passes all the tests failed in initial test, it will be declared **Fit**. However, as a result of the re-test, if the vehicle fails any of the tests as specified in serial number (1), (11), 12(a), (13), 17 (b), (31), (32), (34), (35), (37) and (38), as the case may be according to the type of the vehicle, such vehicle shall be declared as **End-of-Life Vehicle** (ELV). In case, during the re-test, a vehicle fails any test, except the tests specified in serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 of Table-D, such vehicle shall be declared as **Unfit**.

(4) In case the retest (partial or complete test) is ordered by the Appellate Authority and,—

- (i) if the vehicle fails any of the test(s) as specified in serial number (1), (11), (12(a)), (13), (17(b)), (31), (32), (34), (35), (37) and (38), such vehicle shall be declared as End-of-Life Vehicle (ELV).
- (ii) If the vehicle fails any of the test(s) other than those listed in (i) above and except serial numbers (14), (15), (16), (17(a)) and (39) (which are only for information purpose), such vehicle shall be declared as Unfit.
- (iii) If the vehicle passes all the tests (except serial numbers (14), (15), (16), (17(a)) and (39), which are only for information purpose), such vehicle shall be declared as Fit.

(5) Reference and Standards quoted under column (6) against each item are indicative that the provisions exist under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and concerned Automotive Industry Standards /Indian Standards, except serial numbers (14), (15), (16), (17(a)) and (39), which are to inform the registered owner or authorised representative about the health of the vehicle. These are valid as on date and shall be applicable as amended from time to time.

Explanation. – For the removal of doubt, it is hereby clarified that the items viz., FASTag, Vehicle Location Tracking Device, High Security Registration Plate, Safety Belt (Seatbelt), Battery, etc., which cannot be tested through the automated testing equipment as per column (3), shall be tested in accordance with the applicable provisions of these rules.”.

13. In rule 190 of the said rules, - (a) in sub-rule (5), for Table-F, the following Table shall be substituted, namely:—

"Table-F"

Sl. No.	Equipment	Technical Specification	
		Light Commercial Vehicles	Medium and Heavy Commercial Vehicles
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Roller brake tester</b>	<p>(a) Maximum measurable brake load is at least of 6kN</p> <p>(b) Difference in left and right braking efficiency</p> <p>(c) Brake load resolution <math>\leq 100N</math></p> <p>(d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in sub rule (7) of this rule</p> <p>(e) Provision for either lifting or braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(f) Approximate Testing speed: 5 km/h <math>\pm</math> 1 km/h</p> <p>(g) Roller surface</p> <p>(i) Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents from Internationally certified agencies or NABL accredited labs in India for confirmation of minimum frictional coefficient of roller surface need to be provided).</p> <p>(ii) Service life: Minimum 25000 hrs (Self-declaration from OEM specifying required useful life of rollers without any damage need to be provided)</p> <p>(h) Measurement accuracy: within <math>\pm 100N</math></p>	<p>(a) Maximum measurable brake load is at least of 40 kN.</p> <p>(b) Difference in left and right braking efficiency</p> <p>(c) Brake load resolution <math>\leq 100N</math></p> <p>(d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in sub rule (7) of this rule</p> <p>(e) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(f) Approximate Testing speed: minimum 2.5 km/h</p> <p>(g) Roller surface</p> <p>(i) Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents from Internationally certified agencies or NABL accredited labs in India for confirmation of minimum frictional coefficient of roller surface need to be provided).</p> <p>(ii) Service life: Minimum 25000 hrs (Self-declaration from OEM specifying required useful life of rollers without any damage need to be provided)</p> <p>(h) Measurement accuracy: within <math>\pm 2\%</math> of the measured value</p>
2	<b>Axle Weight Measurement</b>	<p>(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together the axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle.</p> <p>Axle weight measurement system can be separate or integrated within either Suspension Tester or Roller Brake Tester equipment.</p> <p>(b) Measuring Range: 0-3000 kg</p> <p>(c) Resolution: 5kg</p> <p>(d) Accuracy: <math>\pm 1\%</math> of reading</p>	<p>(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle.</p> <p>Axle weight measurement system can be separate or integrated within Roller Brake Tester equipment.</p> <p>(b) Measuring range: 0-15000 kg</p> <p>(c) Resolution: 5 kg</p> <p>(d) Accuracy: <math>\pm 1\%</math> of reading</p>
3	<b>Suspension tester</b>	<p>(a) Amplitude of excitation: 6.5 mm <math>\pm</math> 5 mm</p> <p>(b) Measurement accuracy: <math>\pm 1\%</math> of wheel load</p>	

4	<b>Side slip tester</b>	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: $\pm 20$ m/km (c) Measuring resolution: 1 m/km (d) Accuracy shall be $\pm 1.0$ m/km	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: $\pm 20$ m/km (c) Measuring resolution: 1m/km (d) Accuracy shall be $\pm 1.0$ m/km
5	<b>Joint Play tester</b>	(a) Maximum Force per plate is at least of 6 kN (b) Maximum movement on each side: 50 - 80 mm (Hydraulic)	(a) Maximum Force per plate is at least of 30 kN (b) Maximum movement on each side: 100 mm (Hydraulic)
6	<b>Electronic Steering Gear Play Detector</b>	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy: $\pm 2\%$ of full-scale deflection	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy: $\pm 2\%$ of full-scale deflection
7	<b>Semi-Automatic Head light tester</b>	(a) Light Intensity range measure (min): 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have ability to autofocus and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level (d) Vertical and horizontal measuring range: $\pm 50$ cm/10 m ( $\pm 5\%$ ) (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$ of reading. (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails. (g) Maximum deviation of inclination measurement (vehicle orientation): $\pm 0.1\%$	(a) Light Intensity range measure: 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have ability to autofocus and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level. (d) Vertical and horizontal measuring range: $\pm 50$ cm/10 m ( $\pm 5\%$ ). (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$ . (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails. (g) Maximum deviation of inclination measurement (vehicle orientation): $\pm 0.1\%$
8	<b>Opacimeter</b>	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)
9	<b>Exhaust gas analyzer</b>	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (part 8) (b) Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 (c) Measuring resolution to be as follows: (i) CO: 0.01% (ii) CO <sub>2</sub> : 0.1% (iii) HC: 1 ppm (iv) O <sub>2</sub> : 0.02% for measured values $\leq 4\%$ values & 0.1% for measured values $\geq 4\%$ (v) Lambda: 0.001 RPM counter: 10 rpm	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (part 8) (b) Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 (c) Measuring resolution to be as follows: (i) CO: 0.01% (ii) CO <sub>2</sub> : 0.1% (iii) HC: 1 ppm (iv) O <sub>2</sub> : 0.02% for measured values $\leq 4\%$ values & 0.1% for measured values $\geq 4\%$ (v) Lambda: 0.001 RPM counter: 10 rpm

		(d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be $\pm 20$ rpm or $\pm 2\%$ of the reading, whichever is greater. (e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas. Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed	(d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be $\pm 20$ rpm or $\pm 2\%$ of the reading, whichever is greater (e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas. Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed.
10	<b>Speedometer Tester/ Speed Governor Tester</b>	(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule (b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (c) Measuring range: 20 – 160 km/h (d) Resolution: 1 km/h (e) Accuracy: $\pm 1\%$ of indicated reading	(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule (b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (c) Measuring range: 25 – 100 km/h (d) Resolution: 1 km/h (e) Accuracy: $\pm 1\%$ of indicated reading
11	<b>Sound level meter</b>	(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1 (b) Measuring level: $\geq 30$ dB to $\leq 120$ dB (c) Frequency A & C (d) Accuracy: $\pm 1.5$ dB (e) Tripod stand mounted (f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB (g) Resolution: 0.1 dB The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.	(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1 (b) Measuring level: $\geq 30$ dB to $\leq 120$ dB (c) Frequency A & C (d) Accuracy: $\pm 1.5$ dB (e) Tripod stand mounted (f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB (g) Resolution: 0.1 dB The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.
12	<b>OBD Scan Tool</b>	(a) Compliant to: OBDII/EOBD/HD-OBD/WWH-OBD Scan-Tool in accordance with SAE J1979, SAE J1939 and ISO 27145 (b) Must support all OBD modes (c) Diagnostics Communication mediums supported: KWP2000 (K-Line, CAN TP2.0 and ISO-CAN), UDS (ISO-CAN)	(a) Compliant to: OBDII/EOBD/HD-OBD/WWH-OBD Scan-Tool in accordance with SAE J1979, SAE J1939 and ISO 27145 (b) Must support all OBD modes (c) Diagnostics Communication mediums supported: KWP2000 (K-Line, CAN TP2.0 and ISO-CAN), UDS (ISO-CAN)
13	<b>Test Fingers (for Electric &amp; Hybrid-Electric Power train vehicles only)</b>	(a) IPXXB & IPXXD test fingers	(a) IPXXB & IPXXD test fingers
14	<b>Insulation Tester (for Electric &amp; Hybrid-Electric Power train vehicles only)</b>	(a) Rated measuring voltage: upto 1000V DC/AC (45 to 65 Hz) (b) Measuring range: 10k $\Omega$ to 100M $\Omega$ or better (c) Accuracy: upto 10M $\Omega$ $\pm 2\%$ of reading & above 10M $\Omega$ $\pm 5\%$ of reading	(a) Rated measuring voltage: upto 1000V DC/AC (45 to 65 Hz) (b) Measuring range: 10k $\Omega$ to 100M $\Omega$ or better (c) Accuracy: upto 10M $\Omega$ $\pm 2\%$ of reading & above 10M $\Omega$ $\pm 5\%$ of reading

15	<b>Free Roller Set</b> (For Speedometer test on All Wheel Drive vehicles)	(i) The device shall be portable to accommodate large variations in wheelbase of the vehicle (ii) It shall allow driven axels to turn without touching the floor. It shall be composed of a chassis with free turning wheels mounted onto it. (iii) The device shall be designed to ensure safety of nearby people and vehicles so a proper restraint system shall be proposed	
16	<b>Bogie Roller Set</b> (For Roller Brake Test or Speedometer Test on multi-axle HCV with more than one live axle)		(i) Proper braking mechanism for locking of rollers during exit of vehicle shall be provided (ii) The bogie rollers are to be suitably designed to accommodate varying distances between axles and are to be embedded suitably to test both brake and speedometer

**Technical Specifications of equipment for testing Two Wheelers**

17	<b>Roller brake tester</b>	<b>Parameter</b>	<b>Technical specifications</b>
		(a) Maximum load charge per wheel	1 T
		(b) Maximum measurable brake load	3 kN
		(c) Minimum Roller Diameter	suitable roller diameter to test all types of mopeds, scooters & motorcycles
		(d) Minimum Roller Separation	Suitable roller separation to test all types of mopeds, scooters & motorcycles
		(e) Minimum Roller Length	Suitable roller length to test all types of mopeds, scooters & motorcycles
		(f) Roller Surface – Minimum frictional coefficient	0.6
		(g) Roller Surface Service life	Min. 50000 hrs.
		(h) Brake load resolution	<= 10N
		(i) Brake load accuracy	± 10N of measured value
	(j) Approximate testing speed	5 km/h	
18	<b>Semi-Automatic Headlight tester</b>	<b>Parameter</b>	<b>Technical specifications</b>
		(a) Light Intensity range measure (min)	0 - 100000 cd
		(b) Illumination Intensity range measure	0-200 lux
		(c) Headlight tester capable of measuring headlamp with their Centre above ground level	240 mm to 1500 mm
	(d) Vertical and horizontal measuring Range	± 50 cm/10 m (±5 %)	



		(e) Maximum deviation of intensity	± 5 % of reading
		(f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails	
<b>Technical Specifications of equipment for testing Three-Wheeler</b>			
19	Toeing trolley or rail Trolley (For front wheel of 3-Wheeled vehicle)	(i) Toeing trolley should be capable of safe movement of front wheel of 3-wheelers by sliding over the inspection pit. (ii) Locking mechanism should be provided for loading & unloading of front wheel of 3-wheelers on the trolley.	

”;

(b) in sub-rule (6), in Table-G, after serial number 7 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“8	GPS enabled camera	(a) Resolution: Minimum 20 megapixels (b) Optical Zoom: 3x (c) Special Features: Built-in Wi-Fi and GPS support (High sensitivity, high precision built-in GPS in Camera should allow users to tag images with GPS coordinates, recall shooting locations and even route travelled with its logging function)”.
----	--------------------	---

14. In Form 63 of the said rules, for serial number 4 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

<b>“4. Land details</b>	<b>Proposed Location – Details of Ownership/ Lease (Documentary proof to be enclosed, if available)”.</b>
-------------------------	---

15. In Form 64 of the said rules, serial number and heading “7. UNDERTAKING”, against item number d, after the words “automobile spares”, the words “or scrapping of vehicles”, shall be inserted.

16. In Form 66 of the said rules, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: –

#### “1. Test equipment completeness and calibration

Sl. No.	Equipment	Available (Yes/No)	Functional (Yes/No)	Date of calibration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	Roller brake tester			
(b)	Axle Weight Measurement			
(c)	Suspension tester			
(d)	Side slip tester			
(e)	Joint Play tester			
(f)	Electronic Steering Gear Play Detector			
(g)	Semi-Automatic Head light tester			

(h)	Opacimeter			
(i)	Exhaust gas analyzer			
(j)	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			
(k)	Sound level meter			
(l)	OBD Scan Tool			
(m)	Test Fingers			
(n)	Insulation Tester			

”.

17. In Form 67 of the said rules, for serial number 2 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

**“2. Test equipment completeness and calibration**

Sl. No.	Equipment	Available (Yes/No)	Functional (Yes/No)	Date of calibration
(a)	Roller brake tester			
(b)	Axle Weight Measurement			
(c)	Suspension tester			
(d)	Side slip tester			
(e)	Joint Play tester			
(f)	Electronic Steering Gear Play Detector			
(g)	Semi-Automatic Head light tester			
(h)	Opacimeter			
(i)	Exhaust gas analyzer			
(j)	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			
(k)	Sound level meter			
(l)	OBD Scan Tool			
(m)	Test Fingers			
(n)	Insulation Tester			

”.

18. In Form 68 of the said rules, for serial number 3 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

**“3. Test Station Details**

	Initial Test	1 <sup>st</sup> Re-test	Test ordered by the Appellate Authority
Station Name			
Station Address			

Date of Test			
Upload test report			

”.

19. After Form 68 of the said rules, the following form shall be inserted, namely:—

**“Form 69**

[See rule 181 (7)]

**FORM FOR VEHICLE TEST REPORT****Name, logo & details of the ATS Operator**

<b>QR Code</b>	<GPS coordinated date and time> <Picture of the Registration Plate of the Vehicle>
----------------	---

General Details of Automated Testing Station								
Registration no.	Location			Operating Agency Name	Test no.	Date of Test (DD-MM-YY)	Time of Test	Test Status (Initial Test / 1 <sup>st</sup> Re-Test / 2 <sup>nd</sup> Re-test <sup>[1]</sup> )
	RTO	District	State					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

<b>Due Date of Fitness test/ Re-test</b>	
--	--

Details of Vehicle										
Registration no.	Vehicle Class	Make	Model	Engine Number	Chassis Number	Fuel Type	Emission Norms	Speed Governor number (if any)	GVW (kg)	Year of Mfg.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

**1. Automated Equipment Calibration Details**

Sl. No.	Name of Equipment	ID. No.	Calibration Frequency	Date of Last Calibration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Roller Brake Tester			
2	Equipment for Axle Weight Measurement			
3	Suspension Tester			

4	Side Slip Tester			
5	Joint Play Tester		NA	NA
6	Electronic Steering Gear Play Detector			
7	Headlight Tester (Semi-automatic / fully automatic)			
8	Opacimeter / Smoke meter			
9	Exhaust Gas Analyzer			
10	Speedometer/ Speed Governor Tester			
11	Sound level meter			
12	Test fingers		NA	NA
13	Insulation Tester			
14	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)		NA	NA

## 2. Inspection Result

### (a) For Quadricycles, Light, Medium & Heavy Motor Vehicles

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P-Pass / F-Fail)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness</b>					
1	(a) Left headlamp dipped beam vertical deviation (%)	1 (a)			
	(b) Right headlamp dipped beam vertical deviation (%)	1 (b)			
2	(a) Exhaust gas emission – CO%	11 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	11 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	11 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda $\lambda$	11 (d) (iv)			
	(e) Smoke density ( $m^{-1}$ )	11 (e)			
3	Service brake efficiency (%)	12 (a)			
4	Steering gear free play (degrees)	13			
<b>Part B: Automated Tests – Defining Fitness</b>					
5	Speed Governor	27			
<b>Part C: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle</b>					
6	Side Slip Test	14			NA
7	Suspension Test	15			NA
8	Joint Play Test	16			NA
9	Parking Brake efficiency (%)	12 (b)			NA

10	Speedometer Test	17(a)			NA
<b>Part D: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) &amp; hybrid-electric power train vehicles)– Defining ELV or Fitness</b>					
11	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	31			
12	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32			
<b>Part E: Non-Automated Tests – Defining Fitness</b>					
13	Headlamps Assembly	2			
14	Lights	3			
15	Suppressor cap/ High tension cable	4			
16	Rear view mirrors	5			
17	Safety glass (Windscreen)	6			
18	Horn	7			
19	Silencer	8 (a)			
20	(a) Windscreen wiper blades	9 (a)			
	(b) Windscreen wiper system	9 (b)			
21	Dashboard equipment	10			
22	Rear under run protection device (RUPD) (For N2, N3, T3 and T4)	18			
23	Lateral under run protection device (LUPD) (For N2, N3, T3 and T4)	19			
24	FASTag	20			
25	Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, handrail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility (Only for buses)	21			
26	Wheel-chair arrangements for differently abled passengers and passengers with reduced mobility (Only for buses)	22			
27	Vehicle Location Tracking (VLT) Device	23			
28	High Security Registration Plate (HSRP)	24			
29	Battery	25			
30	Safety belt (Seatbelt)	26			
31	Spray Suppression Devices (For all N, T3 and T4)	28			
32	Tyres	29			
33	Retro- Reflector and reflective tapes	30			
34	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (for electric vehicles)	33			
<b>Part F: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle</b>					

35	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	39			
36	Exhaust Noise Test (dB)	8 (b)			

**(b) For Three Wheelers**

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F-Fail)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness Criteria</b>					
1	(a) Exhaust gas emission – CO%	11 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	11 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	11 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda $\lambda$	11 (d)			
	(e) Smoke density ( $m^{-1}$ )	11 (e)			
2	Service brake efficiency (%)	12 (a)			
3	Speedometer (For E-rickshaw or E-cart)	17 (b)			
<b>Part B: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle</b>					
4	Parking Brake efficiency (%)	12 (b)			NA
<b>Part C: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) &amp; hybrid-electric power train vehicles)– Defining ELV or Fitness</b>					
5	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	31 or 37			
6	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32 or 38			
<b>Part D: Non-Automated Tests – Defining Fitness</b>					
7	Headlamps Assembly	2			
8	Lights	3			
9	Suppressor cap/ High tension cable	4			
10	Rear view mirrors	5			
11	Safety glass (Windscreen)	6			
12	Horn	7			
13	Silencer	8 (a)			
14	(a) Windscreen wiper blades	9 (a)			
	(b) Windscreen wiper system	9 (b)			
15	Dashboard equipment	10			
16	High Security Registration Plate (HSRP)	24			

17	Battery	25			
18	Tyres	29			
19	Retro- Reflector and reflective tapes	30			
20	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (Only for electric vehicles)	33			
<b>Part E: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle</b>					
21	Exhaust Noise Test (dB)	8 (b)			

**(c) For Two Wheelers**

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F- Fail)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness Criteria</b>					
1	Headlight passing beam vertical deviation (%)	34			
2	(a) Exhaust gas emission – CO%	35 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	35 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	35 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda $\lambda$	35 (d)			
<b>Part B: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle</b>					
3	Brake efficiency (%)	36			
<b>Part C: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) &amp; hybrid-electric power train vehicles) – Defining ELV or Fitness</b>					
4	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	31 or 37			
5	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32 or 38			
<b>Part D: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle</b>					
6	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	39			

**(3). Overall Results**

--

**(4). Summary (Issues identified):**

--

**(5). Inspection Photos (to be uploaded):**


**(6). Inspecting officer notes:**

--

**Digital signature of ATS operator”.**

**Note:** — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 714(E) dated the 20<sup>th</sup> September, 2022.

[No. RT-25035/05/2021-RS]

MAHMOOD AHMED, Joint Secy.